

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 13 /10/2021

फा.क्रं- 3485/21-ब(दो)/2021, भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री प्रशांत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते हैं।

F.No. 3485/21-B(II)/2021 In exercise of the powers conferred by clause (I) of Article 165 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Prashant Singh, Senior Advocate to be Advocate General of Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of his duties.

म.प्र. के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(गोपाल श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 /10/2021

पृ. क्र. 3485/21-ब(दो)/2021

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
2. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,
3. कार्यालय महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर,
4. कार्यालय अतिरिक्त महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर / ग्वालियर,
5. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
6. महामहिम राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल,
7. श्री प्रशांत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, निवासी राइट टाउन, जबलपुर मध्यप्रदेश,
8. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल-6 की ओर सूचनार्थ तथा म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित,
9. निज सचिव, माननीय विधि मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
- ✓ 10. आई.टी. प्रकोष्ठ, विधि विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु,

1 (डॉ. वैभव विकास शर्मा)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग